



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-08062024-254624
CG-HR-E-08062024-254624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946

No. 295]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

सा.का.नि. 316(अ)—शहद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 876(अ) के तहत दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप आमंत्रित किए गए थे।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को 06 दिसम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 के नियम की उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या किए जाने का लोप किया गया था, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ—(1) इन नियमों का नाम शहद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 है।

(2) ये मानव उपभोग के लिए इच्छित निम्नलिखित प्रकार के शहद पर लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) पुष्प शहद अथवा मकरंद शहद;
- (ख) कार्विया कैलोसा शहद;
- (ग) मधुरस शहद

(3) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है;
- (ख) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ग) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार शहद का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;
- (घ) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा शहद के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;
- (ङ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;
- (च) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक चिह्न” अभिप्रेत है;
- (छ) शहद मधुमक्खियों द्वारा पौधों के मकरंद से या पौधों के जीवित भागों के स्राव से या पौधों के जीवित भागों पर पौधे चूसने वाले कीड़ों के उत्सर्जन से उत्पन्न प्राकृतिक मीठा पदार्थ है, जिसे मधुमक्खियाँ एकत्र करती हैं, अपने स्वयं के विशिष्ट पदार्थों के साथ मिलाकर रूपांतरित करके जमा करती हैं और उन्हें निर्जलित कर अपने छत्ते में पकने और परिपक्व होने के लिए छोड़ देती हैं और इसमें निम्नलिखित शहद शामिल हैं:-
 - (क) पुष्प शहद अथवा मकरंद शहद पौधों के मकरंद से बना शहद होता है;
 - (ख) कार्विया कैलोसा शहद कार्वियाकैलोसा पौधे के फूलों से प्राप्त शहद है जिसे थिक्सोट्रोपिक के रूप में वर्णित किया गया है जो स्थिर रहने पर जेल की तरह अत्यधिक गाढ़ा होता है और हिलाने-डुलाने पर द्रव में बदल जाता है;
 - (ग) मधुरस शहद मुख्य रूप से पौधों के जीवित भागों पर पौधे चूसने वाले कीड़ों (हेमिप्टेरा) के उत्सर्जन अथवा पौधों के जीवित भागों के स्राव से बना शहद होता है।
- (ज) “विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम” से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं;
- (झ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 या विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियमों में हैं;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में "एगमार्क प्रतीक चिह्न" का डिजाइन होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, शब्द 'एगमार्क', वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे जो अनुसूची-I में निर्धारित डिजाइन के सदृश्य होगा।
4. श्रेणी अभिधान :- शहद की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जैसा कि अनुसूची-II में निर्दिष्ट है।
5. गुणवत्ता:- शहद की गुणवत्ता अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
6. पैकिंग करने की विधि : - (1) शहद को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम के प्रावधानों के अनुसार पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।
 - (2) शहद को विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित आकार में पैक किया जाएगा।
 - (3) पात्र पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ऐसे किसी भी विषैले या हानिकारक पदार्थ से नहीं बने होंगे जो भीतर की सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाते हो।
 - (4) पात्र कीट संक्रमण तथा कवक संदूषण से मुक्त होंगे और उत्पाद में कोई अप्रिय और अवांछनीय गंध या स्वाद नहीं देंगे।
 - (5) पेंचयुक्त ढक्कन, उत्पाद के प्रति गैर-संक्षारक और गैर-प्रतिक्रियाशील सामग्री से बने होंगे।
 - (6) समान लॉट या बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा।
 - (7) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का शहद होगा।
 - (8) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके।
7. चिह्नांकन एवं लेबलिंग की विधि : - (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या स्पष्ट और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा।
 - (2) शहद को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार पैकेजिंग पर चिह्नित किया जाएगा।
 - (3) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज अथवा पात्र पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-
 - (क) वस्तु का नाम;
 - (ख) प्राधिकरण प्रमाण पत्र संख्या;
 - (ग) श्रेणी;
 - (घ) किस्म या ट्रेड का नाम (वैकल्पिक);
 - (ङ) लॉट अथवा बैच संख्या;
 - (च) उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख;
 - (छ) पोषण संबंधी जानकारी;
 - (ज) शुद्ध मात्रा;
 - (झ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता (मुद्रित और/या स्कैन करने योग्य);

- (ज) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी कर सहित);
- (ट) समाप्ति तिथि अथवा तक बेहतर तिथि;
- (ठ) भंडारण की स्थिति, यदि कोई हो; और
- (ड) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण।
- (4) पैकेजों पर अंकन के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही ऐसी गुणवत्ता की होगी जो शहद को दूषित नहीं करेगी।
- (5) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत किए गए लेबलिंग प्रावधानों के अनुसार शहद की लेबलिंग निम्नलिखित रूप में की जाएगी:-
- (क) मधुरस शहद – यदि उत्पाद नियम 2 के खंड (छ) में विहित परिभाषाओं के अनुरूप हो;
- (ख) मधुरस शहद और पुष्प शहद का मिश्रण – यदि उत्पाद पुष्प अथवा मकरंद शहद और मधुरस शहद का मिश्रण हो;
- (ग) कार्विया कैलोसा शहद – यदि उत्पाद नियम 2 के खंड (छ) में विहित परिभाषाओं के अनुरूप हो;
- (घ) यदि शहद मक्खी रहित छत्तों को दबाकर निकाला गया हो तो उसके लेबल पर “दाब-निष्कर्षित शहद” लिखा जाए। यदि शहद उप-नियम 4 में ऊपर उल्लिखित किसी श्रेणी का है और “दाब-निष्कर्षित शहद” की श्रेणी में भी आता है, तो उसकी लेबलिंग “दाब-निष्कर्षित मधुरस शहद” अथवा “दाब-निष्कर्षित और मधुरस शहद व पुष्प शहद का मिश्रण” अथवा “दाब-निष्कर्षित कार्विया कैलोसा शहद” के रूप में की जाएगी;
- (ङ) शहद को पुष्प या पौधे के स्रोत के अनुसार अभिहित किया जा सकता है यदि वह पूर्णतः या मुख्य रूप से किसी विशिष्ट स्रोत से आता है और उसकी इंद्रियग्राही, भौतिक-रासायनिक और सूक्ष्मदर्शी गुण उसके उद्गम के तत्समान हैं। उसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (i) एकपुष्पी शहद – यदि संबंधित पौधे की प्रजाति का न्यूनतम पराग अंश शहद में कुल पराग अंश के पैंतालीस प्रतिशत से कम न हो;
- (ii) बहुपुष्पी शहद – यदि किसी पौधे की प्रजाति का पराग अंश कुल पराग अंश के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक न हो।
- (6) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की विशेष शर्तें:- साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा, अर्थात:-

- (i) शहद की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो;

- (ii) प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश व्यवस्था सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;
- (iii) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों से मुक्त होगा;
- (iv) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो;
- (v) आसपास का क्षेत्र या वातावरण आपत्तिजनक गंध, धुँएँ, धूल या वायु जनित रोग संदूषण से मुक्त होगा; और
- (vi) सभी उपकरण और बर्तन केवल खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने होंगे।

अनुसूची-I

एगमार्क प्रतीक चिह्न का डिजाइन

(नियम 3 देखें)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

नोट: प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्या निम्नलिखित में से कहीं पर भी मुद्रित की जा सकती है:

- (क) एगमार्क प्रतीक चिह्न के अंदर; या
- (ख) प्राधिकार प्रमाण पत्र शब्द के साथ "लेबल देखें" मुद्रित होगा (संख्या के स्थान पर), तब प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्या को लेबल पर प्रमुख स्थान पर पूर्वमुद्रित या इंकजेट मुद्रित किया जाएगा

अनुसूची -II

(नियम 4 व 5 देखें)

शहद का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. शहद मधुमक्खियों द्वारा पौधों के मकरंद से या पौधों के जीवित भागों के स्राव से या पौधों के जीवित भागों पर पौधे चूसने वाले कीड़ों के उत्सर्जन से उत्पन्न प्राकृतिक मीठा पदार्थ है, जिसे मधुमक्खियाँ एकत्र करती हैं, अपने स्वयं के विशिष्ट पदार्थों के साथ मिलाकर रूपांतरित करके जमा करती हैं और उन्हें निर्जलित कर अपने छत्ते में पकने और परिपक्व होने के लिए छोड़ देती हैं।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-
 - (i) शहद में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-
 - (क) मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक उत्पाद होगा जो अच्छी तरह से परिपक्व हो;

- (ख) मीठा स्वाद, रुचिकर सुगंध और किस्म की विशेषता के अनुरूप स्वाद होगा;
- (ग) एक समान रंग का होगा, जो स्रोत के आधार पर हल्के सुनहरे से गहरे भूरे रंग का हो सकता है;
- (घ) दृश्यमान फफूंद, अजैविक या जैविक पदार्थ जैसे कि कीट, कीटों के अवशेष, रेत के कण, मोम के टुकड़े, मधुमक्खियों और अन्य कीटों के टुकड़े और किसी भी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;
- (ङ) किसी भी अतिरिक्त खाद्य योजक जैसे रंग, विटामिन, खनिज, सैकरीन और निलंबित कणों से मुक्त होगा;
- (च) सूक्ष्मजीवों या पौधों से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों से मुक्त होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं;
- (छ) प्रसंस्करण और भंडारण के दौरान बाह्य पदार्थ से अवशोषित किसी भी आपत्तिजनक स्वाद, गंध या दाग से मुक्त होगा;
- (ii) शहद में किण्वन या बुलबुले बनना आरंभ नहीं होगा;
- (iii) आपत्तिजनक पदार्थ को दूर करने के लिए निस्पंदन की अनुमति है, बशर्ते शहद की विशेषता वाले पर्याप्त परागकण बरकरार रहें;
- (iv) शहद को सभी प्रकार के बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए 65 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उपयुक्त मोटाई के मलमल के कपड़े या जाली या फिल्टर के माध्यम से छाना जा सकता है;
- (v) शहद को इतना अधिक गर्म न किया जाए कि उसकी अनिवार्य संरचना बदल जाए अथवा उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो;
- (vi) घरेलू व्यापार के मामले में यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) में विनिर्दिष्ट धातु संदूषक, एंटीबायोटिक अवशेष, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;
- (vii) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं, एंटीबायोटिक अवशेष और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:

तालिका

क्रम संख्या	मानदंड	श्रेणी अभिधान		
		विशेष	मानक	सामान्य
1	27 °C पर आपेक्षिक घनत्व, (न्यूनतम)	1.40	1.37	1.35
2	नमी, प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार (अधिकतम)	20.0	20.0	20.0
3	कुल अपचयी शर्कराएं, प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार, (न्यूनतम)			
	नीचे न उल्लिखित शहद के लिए	70.0	65.0	65.0
	कार्विया कैलोसा और मधुरस शहद	60.0	60.0	60.0
	मधुरस शहद और पुष्प शहद का मिश्रण	45.0	45.0	45.0
4	सूक्रोज, प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार, (अधिकतम)			
	नीचे न उल्लिखित शहद के लिए	5.0	5.0	5.0
	कार्विया कैलोसा और मधुरस शहद	10.0	10.0	10.0

5	फ्रुक्टोज-ग्लूकोस अनुपात (एफ/जी अनुपात)	1.00-1.50	0.95-1.50	0.95-1.50
6	कुल भस्म, प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार, (अधिकतम)	0.50	0.50	0.50
7	अम्लता, फोर्मिक एसिड के रूप में व्यक्त, प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार, (अधिकतम)	0.20	0.20	0.20
	मुक्त अम्लता, मिली समतुल्य अम्ल/1000ग्रा, (अधिकतम)	50	50	50
8	हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल (एच.एम.एफ.) मिग्रा/किग्रा (अधिकतम)	80	80	80
9	डायस्टेज सक्रियता शेड यूनिट प्रति ग्राम, (न्यूनतम)	3.0	3.0	3.0
10	जल-अविलेय पदार्थ, प्रतिशतता (अधिकतम)			
	a) नीचे न उल्लिखित शहद के लिए	0.10	0.10	0.10
	b) दाब-निष्कर्षित शहद के लिए	0.50	0.50	0.50
11	सी 4 शुगर, प्रतिशत, द्रव्यमान अनुसार, अधिकतम	7.0	7.0	7.0
12	पराग गणना और पौधे के तत्व/ग्राम			
	छत्ते का शहद (अधिकतम)	15,000	25,000	50,000
	स्वीज़ड शहद (न्यूनतम)	5,000	5,000	5,000
13	2-एसेटिलफ्यूरान-3-ग्लूकोपाइरनोसाइड (2-एएफजीपी) राइस सिरप के मार्कर के रूप में	अनुपस्थित ³	अनुपस्थित ³	अनुपस्थित ³
14	बाहरी ओलिगोसैकराइड (अधिकतम प्रतिशत पीक क्षेत्र)	0.7	0.7	0.7
15	प्रोलीन, मिग्रा/किग्रा, न्यूनतम	180.0	180.0	180.0
16	विद्युत चालकता			
	मधुरस शहद के अंतर्गत न उल्लिखित शहद, अधिकतम	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm
	मधुरस शहद के अंतर्गत उल्लिखित शहद, न्यूनतम	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm
17	(a) $\Delta\delta^{13}\text{C}$ अधिकतम ² . (सभी मापे गए $\delta^{13}\text{C}$ मानों के बीच अधिकतम अंतर); प्रति मिलि. (‰)	± 2.1	± 2.1	± 2.1
	(b) $\Delta\delta^{13}\text{C}_{\text{Fru}} - \text{Glu}$ (फ्रुक्टोज और ग्लूकोस के मध्य $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ अनुपात में अंतर); प्रति मिलि. (‰)	± 1.0	± 1.0	± 1.0
	(c) $\Delta\delta^{13}\text{C}$ प्रोटीन – शहद (शहद और इसके संबद्ध प्रोटीन अर्कों के मध्य $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ में अंतर); प्रति मिलि. (‰)	$\geq - 1.0$	$\geq - 1.0$	$\geq - 1.0$
18	660 एन एम पर प्रकाशीय घनत्व (अधिकतम)	0.30	0.30	0.30
19	फीहे'स परीक्षण	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक
20	ऐनिलिन क्लोराइड परीक्षण	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

टिप्पणः

- यदि फीहे'स परीक्षण सकारात्मक है किन्तु हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल (एच.एम.एफ.) 80 पीपीएम से नीचे है, तो शहद को स्वीकार किया जा सकता है।
- $\Delta\delta^{13}\text{C}$ अधिकतम² मापे गए सभी संभव आइसोटोपिक अनुपातों ($\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose-disaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose -protein/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-disaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-protein/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ disaccharides-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ disaccharides-protein / $\Delta\delta^{13}\text{C}$ trisaccharides-protein) के मध्य देखा गया अधिकतम अंतर है।
- न्यूनतम अपेक्षित निष्पादन स्तर – 1 मिग्रा/किग्रा

4. अन्य अपेक्षाएँ:

- (i) शहद समरूप होगा। यदि शहद दानेदार है तो इसे उपयोग के पूर्व गर्म किया जा सकता है;
- (ii) शहद का भंडारण ठंडे और शुष्क स्थान पर स्वच्छ स्थिति में किया जाएगा।

तालिका के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण,-

- (क) “छत्ते का शहद” पालतू मधुमक्खियों के छत्ते से उत्पादित शहद है।
- (ख) “पुष्प शहद” या “मकरंद शहद” पौधों के मकरंद से प्राप्त शहद है।
- (ग) “कार्विया कैलोसा शहद” कार्वियाकैलोसा पौधे के फूलों से प्राप्त शहद है जिसे थिक्सोट्रोपिक के रूप में वर्णित किया गया है जो स्थिर रहने पर जेल की तरह अत्यधिक गाढ़ा होता है और हिलाने-डुलाने पर द्रव में बदल जाता है।
- (घ) “निष्कर्षित शहद” डीकैण्ड मक्खीरहित छत्तों से सेंट्रीफ्यूजिंग द्वारा अभिप्राप्त शहद है या उसे साधारण रूप से उष्मा दिए बिना तैयार किया जाता है।
- (ङ) “मधुरस शहद” मुख्य रूप से पौधों के जीवित भागों पर पौधे चूसने वाले कीड़ों (हेमिप्टेरा) के उत्सर्जन अथवा पौधों के जीवित भागों के स्राव से प्राप्त शहद है।
- (च) “स्क्वीज़ड शहद” या “दाब-निष्कर्षित शहद” मक्खीरहित छत्तों को दबाकर या निचोड़ कर प्राप्त होने वाला शहद है।

(फा. सं.-क्यू-11047/05/शहद/2021-मानक)

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7 June, 2024

G.S.R. 316(E).—Whereas the draft of the Honey Grading and Marking Rules, 2023, was published under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 876(E), dated the 6th December, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 06th December, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Honey Grading and Marking Rules, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Honey Grading and Marking Rules, 2024.
- (2) They shall apply to following types of Honey intended for human consumption, namely:-
 - (a) Blossom Honey or Nectar Honey;
 - (b) Carvia Callosa Honey;
 - (c) Honeydew Honey
- (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
 - (c) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Honey with the grade standards and procedure prescribed under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;
 - (d) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988, authorising a person or a body of persons to grade and mark Honey with the grade designation mark;
 - (e) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (f) "Grade designation mark" means "Agmark insignia" referred to in rule 3;
 - (g) "Honey" is the natural sweet substance produced by honey bees from the nectar of plants or from secretions of living parts of plants or excretions of plant sucking insects on the living parts of plants, which the bees collect, transform by combining with specific substances of their own, deposit, dehydrate, store and leave in the honey comb to ripen and mature and includes,-
 - (a) Blossom Honey or Nectar Honey is the Honey which comes from nectars of plants;
 - (b) Carvia Callosa Honey is the Honey derived from the flowers of the Carviacallosa plant which is described as thixotropic and is gel like extremely viscous when standing still and turns into liquid when agitated or stirred;
 - (c) Honeydew Honey is the Honey which comes mainly from excretion of plant sucking insects (Hemiptera) on the living parts of plants or secretions of living parts of plants.
 - (h) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and
 - (i) "Schedule" means the Schedules appended to these rules.
- (2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988 or the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 shall have the meanings respectively assigned to them under the said Act or the rules.
3. Grade designation mark.- The grade designation mark shall consist of "AGMARK Insignia" incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and a grade designation resembling the design specified in Schedule-I.
4. Grade designation. - The grade designation to indicate the quality of Honey shall be such as specified in Schedule- II.
5. Quality. - The quality of Honey shall be such as specified in Schedule- II.
6. Method of packing. - (1) The Honey shall be packed in packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules.
- (2) The Honey shall be packed in sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or as approved by the Agricultural Marketing Adviser in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
 - (3) The containers shall not be composed wholly or partly of any poisonous or deleterious substances which renders the contents injurious to health.
 - (4) The containers shall be free from insect infestation, fungus contamination and should not impart any obnoxious and undesirable odour or flavour to the product.

- (5) The screwed caps shall be made of non-corrosive and non-reactive material to the product.
 - (6) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.
 - (7) Each package shall contain Honey of the same type and of the same grade designation.
 - (8) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.
7. Method of marking and labeling.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each package or container in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
- (2) The Honey shall be marked on packaging in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020.
 - (3) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package or container, namely:-
 - (a) name of the commodity;
 - (b) C.A. number;
 - (c) grade;
 - (d) variety or trade name (optional);
 - (e) lot or batch number;
 - (f) date of manufacture or packaging;
 - (g) nutritional information;
 - (h) net quantity;
 - (i) name and address of the authorised packer (printed and/or scannable);
 - (j) maximum retail price (inclusive of all taxes);
 - (k) expiry or use by date;
 - (l) storage condition, if any; and
 - (m) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any law for the time being in force or any instructions issued there under.
 - (4) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the Honey.
 - (5) As per the labeling provisions made under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020, honey shall be labeled as:-
 - (a) Honeydew Honey - if the product complies with the definitions given in clause (g) of rule 2;
 - (b) Blend of Honeydew Honey and Blossom Honey – if the product is a mixture of Blossom or Nectar Honey and Honeydew Honey;
 - (c) Carvia Callosa Honey - if the product complies with the definitions given in clause (g) of rule 2;
 - (d) if the Honey is obtained by pressing broodless combs, honey shall be labeled as “Pressed Honey”. If honey belongs to any of the categories mentioned in sub-rule (4) above and also falling into the category of Pressed Honey, it shall be labeled as “Pressed Honeydew Honey” or “Pressed and Blend of Honeydew Honey and Blossom Honey” or “Pressed Carvia Callosa Honey”;
 - (e) The Honey may be designated according to floral or plant source, if it comes wholly or mainly from any particular source and has the organoleptic, physicochemical and microscopic properties corresponding with that origin and categorized as under:-

Explanation. - for the purpose of this rule,-

- (i) Monofloral Honey - if the minimum pollen content of the plant species concerned is not less than forty-five percent of total pollen content;
 - (ii) Multi Floral Honey - if the pollen content of any of the plant species does not exceed forty-five percent of the total pollen content.
- (6) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
8. Special conditions for grant of certificate of authorisation. - In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall comply with the conditions specified under these rules, namely:-
- (i) the authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms provided under rule 8 of the General Grading and Marking Rules or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf under rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Honey;
 - (ii) the premises of authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary condition with proper ventilation and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases;
 - (iii) the premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation;
 - (iv) the authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time;
 - (v) the surrounding area or environment shall be free from objectionable odour, smoke, dust or air borne pathological contaminations; and
 - (vi) all equipments and utensils shall be made of food grade stainless steel only.

SCHEDULE-I

Design of Agmark Insignia

(See rule 3)



NAME OF COMMODITY _____

GRADE _____

Note: C.A. number may be printed either

- (a) inside the Agmark insignia; or
- (b) C.A. No. with words "see label" (replacing number place), then CA No. to be either preprinted or inkjet printed at prominent place on label.

SCHEDULE-II
(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of honey

1. "Honey" is the natural sweet substance produced by honey bees from the nectar of plants or from secretions of living parts of plants or excretions of plant sucking insects on the living parts of plants, which the bees collect, transform by combining with specific substances of their own, deposit, dehydrate, store and leave in the honey comb to ripen and mature.
2. Minimum requirements:
 - (i) Honey shall be-
 - (a) well ripened, natural product produced by honeybees;
 - (b) having sweet flavour, pleasant aroma and taste characteristic to variety;
 - (c) possess uniform colour, varying from light golden to dark brown depending upon the source;
 - (d) free from visible mould, inorganic or organic matters such as insects, insect debris, brood or grains of sand dirt, pieces of beeswax, the fragments of bees and other insects and from any other extraneous matter;
 - (e) free from any added food additives such as colour, vitamins, minerals, saccharin and suspended particles;
 - (f) free from toxic substances arising from the micro-organisms or plants which may constitute a hazard to health;
 - (g) free from any objectionable flavour, aroma or taint absorbed from foreign matter during its processing and storage;
 - (ii) honey shall not have begun to ferment or effervesce;
 - (iii) filtration is permitted to remove objectionable matter provided sufficient pollen grains which characterized the honey are retained;
 - (iv) honey may be strained clear through a double thickness of muslin cloth or mesh or filter of suitable fineness at a temperature below 65°C to remove all type of extraneous matter;
 - (v) honey shall not be heated to such an extent that its essential composition is changed or its quality is impaired;
 - (vi) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, antibiotic residues, pesticide residues, microbial requirements, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
 - (vii) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, antibiotic residues, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export.
3. Criteria for grade designation:

TABLE

Sl. No.	Parameters	Grade designation		
		Special	Standard	General
1	Specific gravity at 27 °C, (Minimum)	1.40	1.37	1.35
2	Moisture, percentage by mass, (Maximum)	20.0	20.0	20.0
3	Total reducing sugars, percentage by mass, (Minimum)			
	For the Honey not listed below	70.0	65.0	65.0
	Carvia- callosa and Honeydew honey	60.0	60.0	60.0
	Blends of Honeydew honey with blossom honey	45.0	45.0	45.0

4	Sucrose, percentage by mass, (Maximum)			
	For the Honey not listed below	5.0	5.0	5.0
	Carvia-callosa & Honeydew honey	10.0	10.0	10.0
5	Fructose and Glucose ratio (F/G Ratio)	1.00-1.50	0.95-1.50	0.95-1.50
6	Total Ash, percentage by mass, (Maximum)	0.50	0.50	0.50
7	Acidity expressed as formic acid, percentage by mass, (Maximum)	0.20	0.20	0.20
	Free Acidity Milli equivalents acid/1000g, (Maximum)	50	50	50
8	Hydroxy Methyl Furfural (H.M.F.) mg/kg (Maximum)	80	80	80
9	Diastase activity in schade units per gram, (Minimum)	3.0	3.0	3.0
10	Water insoluble matters percentage (Maximum)			
	c) For the Honey not listed below	0.10	0.10	0.10
	d) For Pressed honey	0.50	0.50	0.50
11	C4 Sugar, per cent by mass, Max.	7.0	7.0	7.0
12	Total count of pollen and plant elements/g			
	Apiary Honey (Maximum)	15,000	25,000	50,000
	Squeezed Honey (Minimum)	5,000	5,000	5,000
13	2-Acetylfuran-3-Glucopyranoside (2-AFGP) as Marker for Rice Syrup	Absent ³	Absent ³	Absent ³
14	Foreign oligosaccharides (Max. Percent Peak Area)	0.7	0.7	0.7
15	Proline, mg/kg, Minimum	180.0	180.0	180.0
16	Electrical Conductivity			
	Honeys not listed under Honeydew, Max.	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm
	Honeys listed under Honeydew, Min.	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm	0.8 mS/cm
17	(a) $\Delta\delta^{13}\text{C}$ Max ² . (Maximum difference between all measured $\delta^{13}\text{C}$ values); per mil (‰)	± 2.1	± 2.1	± 2.1
	(b) $\Delta\delta^{13}\text{C}$ Fru – Glu (The difference in $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ratio between fructose and glucose); per mil(‰)	± 1.0	± 1.0	± 1.0
	(c) $\Delta\delta^{13}\text{C}$ Protein – Honey (The difference in $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ between honey and its associated protein extract); per mil(‰)	≥ -1.0	≥ -1.0	≥ -1.0
18	Optical Density at 660 nm (Maximum)	0.30	0.30	0.30
19	Fiehe's Test	Negative	Negative	Negative
20	Aniline Chloride Test	Negative	Negative	Negative

**

Note:

1. If Fiehe's test is positive, but Hydroxy Methyl Furfural (H.M.F.) content is below 80 p.p.m. then honey may be accepted.
2. $\Delta\delta^{13}\text{C}$ Max. is the maximum difference observed between all possible isotopic ratios measured ($\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose-disaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ fructose -protein/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-disaccharides / $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ glucose-protein/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ disaccharides-trisaccharides/ $\Delta\delta^{13}\text{C}$ disaccharides-protein / $\Delta\delta^{13}\text{C}$ trisaccharides-protein).
3. Minimum Required Performance Level- 1mg/kg
4. Other requirements:
 - (i) Honey shall be homogeneous. It may be warmed before use, if granulated;

(ii) Honey shall be stored in cool and dry place maintained in hygienic condition.

Explanation for the purpose of the Table,-

- (a) "Apiary honey" is honey produced from domesticated beehives.
- (b) "Blossom honey" or "Nectar honey" is honey which comes from nectar of plants.
- (c) "Carvia Callosa honey" is honey derived from flowers of the Carviacallosa plant which is described as thixotropic and is gel like extremely viscous when standing still and turned into liquid when agitated or stirred.
- (d) "Extracted honey" is honey obtained by centrifuging decapped broodless combs; or without the application of moderate heat.
- (e) "Honeydew honey" is honey which comes mainly from excretions of plant sucking insects (*Hemiptera*) on the living parts of plants or secretions of living parts of plants.
- (f) "Squeezed honey" or "Pressed Honey" is honey obtained by pressing or squeezing of broodless combs.

(F.No. Q-11047/05/Honey/2021-Std)

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)